उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
चालंग हिल्स, पो.ऑ.–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः–urtsc.uk.gov.in, ई–मेलः–ukrtsc@gmail.com

समक्षः– भूपाल सिंह मनराल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग देहरादून।

पंजीकरण सं०ः– C-fm24020539.7.CWT

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ताः– श्रीमती माया पुनेठा पत्नी श्री कैलाश चन्द्र पुनेठा, निवासी–पुनेठा निवास, नियर ग्रामीण बैंक, टकारा रोड, जिला–पिथौरागढ़।

बनाम

प्रतिपक्षीः– पदाभिहित अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी, बाराकोट, जिला–चंपावत।

आदेश

उपरोक्त पंजीकृत शिकायत के संदर्भ में आयोग के पत्र संख्याः 296, दि० 28.02.2024 के क्रम में उप शिक्षा धिकारी, बाराकोट का पत्र संख्याः 522 / पेंशन / 2023–24, दि० 16.03.2024 एवं पत्रांकः 535–36 / पेंशन / 2023–24, दि० 21.03.2024 प्राप्त हुआ, जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. उप शिक्षाधिकारी, बाराकोट ने अपने उक्त पत्र दि० 16.03.2024 के माध्यम से उत्तर दिया है कि मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में श्रीमती माया पुनेठा को उनके देयक यथा जी०आई०एस०, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, जी०पी०एफ० 90 एवं 10 प्रतिशत का भुगतान उनकी सेवानिवृत्त तिथि दि० 31.03.2023 के उपरांत माह अप्रैल, 2023 में कर दिया गया था। दि० 23.12.2022 से दि० 31.03.2022 तथा माह जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक का वेतन भुगतान दि० 07.09.2023 को हो चुका है तथा वेतन निर्धारण वित्त अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होकर उनके कार्यालय को प्राप्त होते ही पेंशन प्रपत्र कोषाधिकारी, चंपावत को प्रेषित कर दिया गया था। दि० 15.03.2024 को श्रीमती पुनेठा का पेंशन स्वीकृति आदेश उनके कार्यालय को प्राप्त होने के उपरांत श्रीमती पुनेठा को सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। इसके अतिरिक्त कार्यालय के पत्र संख्याः 535–36 / पेंशन / 2023–24, दि० 21.03.2024 के माध्यम से श्रीमती माया पुनेठा को पेंशन प्रपत्र उनके कार्यालय से प्राप्त कर, उपकोषागार, लोहाघाट में पेंशन स्वीकृति प्रपत्र लेकर उपस्थित होने के संबंध में सूचित किया गया है।

3. यह अत्यंत खेदजनक है कि शिकायतकर्ता श्रीमती माया पुनेठा द्वारा आयोग को प्रस्तुत अपने मूल शिकायती पत्र दि० 24.01.2024 में यह तथ्य छिपाया गया है कि उनके द्वारा अपने प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किया गया था, जिस पर मा० उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया जा चुका है। चूँकि पदाभिहित अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी, बाराकोट द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती माया पुनेठा के पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है तथा अब अग्रेत्तर कार्यवाही श्रीमती पुनेठा के स्तर पर की जानी है। अतः

आयोग द्वारा प्रकरण को निक्षेपित करते हुए शिकायतकर्ता श्रीमती माया पुनेठा को निर्देशित किया जाता है कि वे उप शिक्षा अधिकारी, बाराकोट के उक्त पत्र संख्या: 535–36, दि॰ 21.03.2024 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करें।

4. उप कोषाधिकारी, उप कोषागार, लोहाघाट, जिला–चंपावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त।

दिनाँक: 26.03.2024।